क्र०सं०–393

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1736/79-वि-1–08-1(क)15-2008

लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 28 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (3) में खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के सात प्रतिनिधि, जो ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि सात प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में से होगा तथा एक प्रतिनिधि महिला होगी;"

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(4) परिषद् का कार्यकाल सहकारी गन्ना समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा और इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद परिषद् उपधारा (3) में दिये गये उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में किसी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में एक गन्ना विकास परिषद् के गठन का प्रावधान है। उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ii) में प्रावधान है कि सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के पाँच प्रतिनिधि,जो ऐसी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा उक्त समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे, में से दो प्रतिनिधि निर्बल वर्गों के होंगे। गन्ना विकास परिषद् में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त धारा को संशोधित करके उक्त प्रतिनिधियों की संख्या को पाँच से बढ़ाकर सात करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाए। यह भी विनिश्चय किया गया है कि उक्त परिषद् के कार्यकाल को गन्ना सहकारी समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी कर दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 1736(2)/LXXIX-V-1-(Ka)15-2008

Dated Lucknow, August 29, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Purti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008:-

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. Act no. 22 of 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. 24 of 1953

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953,–

(a) in sub-section (3) *for* clause (ii) the following clause shall be *substituted* namely :–

"(ii) seven representatives of the Cane-grower's Co-operative Societies functioning in the reserved area, to be elected by the members of the Committees of Management of such societies from amongst the members of such societies :

Provided that out of seven representatives one representative shall be from the persons belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes and one from the persons belonging to the other backward classes and one representative shall be a women;"

(b) for sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(4) The term of council shall be co-terminous with the term of Cane Co-operative Society and upon its expiry the council shall be re-constituted in accordance with the provisions of sub-section (3)."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 5 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 provides for the establishment of a Cane Development Council for the reserved area of a factory. Clause (ii) of sub-section (3) of the said section provides that five representatives of the Cane-grower's Co-operative Societies functioning in the reserved area, to be elected by the members of the Committees of Management of such societies from amongst the members of such societies of which two representatives shall be from the weaker sections. With a view to ensuring proper representation of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, other backward classes and the women in the Cane Development Council it has been decided to amend the said section to provide for increasing the number of the said representatives from five to seven and for giving the representation of one person each from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, the other backward classes and the women it has also been decided to make the term of the said council co-terminous with the term of Cane Co-operative Society.

The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of supply and Purchase) (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,

S.M.A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 475 राजपत्र(हिन्दी)-2008-(1049)-597-प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट):

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 106 सा0विधायी-2008-(1050)-850-प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।